

1	विभाग का नाम	कृषि
2	योजना का नाम	राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (दलहन)
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	<p>1- उद्देश्य दलहनी फसलो का उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि</p> <p>2- योजना से सम्बन्धित बीजो एवं कृषि यन्त्रो सूक्ष्म पोषक तत्वो पर लागत का 50% अनुदान अनुमन्य</p> <p>3- कुल बजट का 16% स्पेशल कम्पोनेंट प्लान अनुसूचित जाति एवं 8% ट्राइबल सब प्लान अनुसूचित जन जाति हेतु</p> <p>4- क्लस्टर का क्षेत्रफल कम से कम 100 है0</p> <p>5- प्रदर्शन में सम्मिलित कृषको को कम से कम 0.4 है0</p> <p>6.विभिन्न कृषि यंत्रों पर कृषकों को 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान देय है।</p> <p>7- दलहनी फसलो के बीजो पर अनुदान अधिकतम 15 वर्ष तक की प्रजातियो पर ही मान्य</p>
4	पात्रता की अर्हता	समस्त कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन से किसान पादर्शी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स0वि0अ0कृषि के माध्यम से
6	लिंक वेबसाईट	http://upagriculture.com/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।